न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/168

मिसल नम्बर–48 / 2024

1.नीरजा माथुर आयु 68 पत्नि श्री धीरेन्द्र माथुर निवासी 185 ए भगतसिंह कॉलोनी भीमगंजमण्डी स्टेशन रोड

2.गिरीश माथुर आयु 69 साल पुत्र श्री बृजमोहन माथुर

3.अल्का माथुर आयु 62 साल पत्नि श्री गिरीश माथुर निवासीगण अल्का डायग्नोस्टिक सांघी धर्मशाला के पास नयापुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.बंशलाल पुत्र गणपत मृतक

1 / 1.श्रीमती संतरा देवी पत्नि स्व0 श्री बंशीलाल

1 / 2.सुरेश पुत्र स्वा0 श्री बंशीलाल

1 / 3.प्रेम पुत्र स्व0 श्री बंशीलाल निवासीगण नयानोहरा तहसील लाडपुरा कोटा

2.मोहनलाल पुत्र गणपत

3.लक्ष्मीनारायण पुत्र गणपत निवासीगण नयानोहरा तहसील लाडपुरा कोटा

4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 31/12/2025

उपस्थिति:–

1.श्री भुवनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि आराजी खसरा नं0 95 / 1, 95 / 2, 95 / 3 व 95 वाके ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा में स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लगवा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा न0 106 वाके ग्राम नयानोहरा में स्थित है। प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर जाने हेतु कोई रास्ता मौजूद नही होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने एवं सार संभाल में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि प्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजीयात में आने जाने रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। लिंक रोड से अमरनाथ एन्क्लेव से होते हुये अप्रार्थीगण की भूमि तक रास्ता उपलब्ध है एवं प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर आने जाने हेतु नयानोहरा कोटा तक रास्ता आकर अप्रार्थीगण की खसरा नं0 106 की भूमि में से रास्ता नही होने से प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से 30 फीट रास्ता दिया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोहित है एवं रास्ता प्राप्त करने के संबंध में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि में से माननीय न्यायालय की सहायता से 30 फीट का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण उक्त 30 फीट रास्ते का नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रतिफल अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीगण के पास पृथक से अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु अमरनाथ एन्कलेव नयानोहरा कोटा से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 106 में से 30 फीट चौड़ा व करीब 100 फीट लम्बा रास्ता दिलवाये जाने हेतु समुचित आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब करने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि खसरा नं0 95/1, 95/2, व 95/3 पर कृषि कार्य करने के लिए किसी खातेदार द्वारा कोई व्यवधान नही है। खसरा नं0 95/1, 95/2, व 95/3 पर खसरा नं0 121 व 92 से होकर रास्ता उपलब्ध है जो खसरा 106 तब जाता है तथा खसरा संख्या 106 काफी समय से पड़त है साथ खसरा संख्या 95/1, 95/2, व 95/3 भी लम्बे समय से पड़त है अर्थात आस पास कृषि कार्य नही हो रहा है ज्यादातर खसरों में अकृषि कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदन में चाहा गया रास्ता जोत पर खातेदारी कार्य करने के लिए परम आवश्यक नही है, आवेदित रास्ता मात्र जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रकरण में पुनः तहसीलदार लाडपुरा से दिनांक 16.06.2025 को रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें कथन किया गया है कि पूर्व प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 95/1, 95/2 व 95/3 लम्बे समय से पड़त है कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही हेतु लगभग 10–12 फीट के मार्ग की आवश्वयकता होती है एवं कृषि कार्य हेतु प्रार्थी ट्रैक्टर आदि संसाधन खसरा नं0 121 की उत्तरी मेर से ख0नं0 105/2 एवं ख0नं0 105/1 की दक्षिणी मेर एवं खसरा नं0 106 की उत्तर पश्चिमी मेर से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है। अतः पूर्व टिप्पणी में कृषि कार्य करने में कोई बाधा नही होना अंकित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में 30 चौड़ा पहुंच मार्ग चाहा गया है अतः इस चौड़ाई का कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नही होने बाबत रिपोर्ट अंकित की गयी है। प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य अपने खसरे पर पहुचने के सम्बंध में टिप्पणी पैरा 1 में अंकित कर दी है तदनुसार प्रार्थी खसरा नं0 121, 105/1, 105/2, 106 की सीमाओं से कृषि संसाधन एवं आवागमन कर सकते है। खसरा नं0 121 में प्लानिंग का केवल रोड उपलब्ध है।

हमने प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खसरा नं0 95/1, 95/2 व 95/3 के खातेदारों को मैर के सहारे, धोरे पर से अथवा अन्य के खेत में जाने के कई विकल्प सुझाये गये है। जो व्यवहारिक नही है क्योंकि सभी स्थितियों में किसी न किसी खेत में से होकर ही जाना पडेगा जो प्रचलित मार्ग नही होने से एक नया मार्ग ही होगा। स्थिति को अधिक स्पष्ट करने के लिए माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा राजस्थान द्वारा दिनांक 06.06.2025 को कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट कर पुनः रिपोर्ट मांगी गई जिसमें नक्शा ट्रेस भिजवाना भी अंकित था इसी सिलसिले में कार्यालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा द्वारा दिनांक 16.03.2025 को जो रिपोर्ट भेजी उसमें नक्शा ट्रेस संलग्न कर प्रस्तावित मार्ग की अनुशंसा की गई। खसरा नं0 106 के खातेदारों द्वारा यूआईटी कोटा में दिये गये प्रार्थना पत्र व उसके आधार पर भू उपयोग परिवर्तन के प्रार्थीया द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का मुख्य आधार भी खसरा नं0 95/1, 95/2 व 95/3 पर कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नही होना कहा गया है।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही हेतु लगभग 10–12 फीट के मार्ग की आवश्वयकता

उपखण्ड अधिकारी, कोटा ★ (stamp)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

होती है एवं कृषि कार्य हेतु प्रार्थी ट्रैक्टर आदि संसाधन खसरा नं0 121 की उत्तरी मेर से ख0नं0 105/2 एवं ख0नं0 105/1 की दक्षिणी मेर एवं खसरा नं0 106 की उत्तर पश्चिमी मेर से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रास्ता दर्ज नही है परतु मौके पर प्रार्थी ट्रैक्टर आदि संसाधन खसरा नं0 121 की उत्तरी मेर से ख0नं0 105/2 एवं ख0नं0 105/1 की दक्षिणी मेर एवं खसरा नं0 106 की उत्तर पश्चिमी मेर से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि कृषि कार्य हेतु प्रार्थीगण ट्रैक्टर आदि संसाधन खसरा नं0 121 की उत्तरी मेर से ख0नं0 105/2 एवं ख0नं0 105/1 की दक्षिणी मेर एवं खसरा नं0 106 की उत्तर पश्चिमी मेर से होते हुये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर ले जा सकते है। प्रार्थीगण के उक्त रास्ते के उपयोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेगे।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा